सबगुरु डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म
फेसबुक पेज लिंक
https://www.facebook.com/sabgurunews/
वेबसाइट लिंक
https://www.sabguru.com/
यूट्यूब चैनल लिंक
https://www.youtube.com/channel/UCCcLf90UP-prqTinNwqUXZg/
English Article Link:
https://www.sabguru.com/en/the-role-of-dopamine-understanding-the-feel-good-hormone/

SABGURU NEWS

पो.रजि. नं. आरजे/एजे/211/2025-27

PRGI. No. RAJBIL/2023/88629

सबगुरु न्यूज

(राष्ट्रीय द्विभाषीय पाक्षिक)

मो.9887907277 Email ID sabgurunews@gmail.com Website https://www.sabguru.com

सम्पादक - विजय सिंह

खबरों के लिए स्कैन करें

वर्ष 4 | अंक 3 | अजमेर, शनिवार 25 जुलाई 2026 | मूल्य 5 रुपए | पृष्ठ-4

सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद तोड़ा आमरण अनशन, सीजेपी का आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान

नई दिल्ली। शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन समाप्त कर दिया लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सड़कों पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।वांगचुक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपना आमरण अनशन समाप्त करने की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जपी नड्डा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तथा लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था।

उन्होंने कहा कि सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने, नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने और किसी हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है।इस बीच सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने वांगचुक के अनशन समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि 26 दिनों से अधिक समय तक चले अनशन के बाद उनका यह फैसला राहत देने वाला है क्योंकि उनका जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित किया फास्टट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्टट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय लिए जाने के कुछ ही घंटों में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे कोर्ट का गठन कर अनु ग्रोवर बालिगा को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्टट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार सुबह की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि फास्टट्रैक कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से संचालित होगा और अनु ग्रोवर बालिगा इसकी विशेष न्यायाधीश होंगी। इससे पहले वह तीस हजारी अदालत में मध्यस्थता केन्द्र की प्रभारी न्यायाधीश थी।राउज एवेन्यू कोर्ट में पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े सभी मामलों अब फास्टट्रैक कोर्ट में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर उनका धरना प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के साथ वार्ता तटस्थ स्थान पर होगी और प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ स्वीकार नहीं होगा।इस बीच सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सरकार ने निष्पक्ष स्थान पर बातचीत करने की उनकी मांग को मान लिया है और अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तटस्थ स्थान पर वार्ता के लिए बैठक बुलाई है। उन्होंने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि पार्टी बैठक में सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखेगी।पार्टी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा कि बैठक में पार्टी अपनी चार प्रमुख मांगें रखेगी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी वापस लेना तथा परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।उन्होंने यह भी कहा कि इन मांगों पर पार्टी पहले दिन से कायम है और इनके पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा।छात्रों के आंदोलन से जुड़े में सकारात्मक पक्षों के बीच शुक्रवार को संसद की कार्यवाही शुरू होती ही विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद भवन परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया।

पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा वाले संशोधन विधेयक के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा देने के प्रावधान वाले संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार विधेयक में दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कठघरे में खड़ा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन, कड़ी सजा और भारी भरकम जुमार्ने का प्रावधान किया गया है।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को सुबह कहा था कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।इसके बाद देर रात उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त सजा के प्रावधानों के साथ फास्ट ट्रैक अदालत की व्यवस्था करने वाले एक कानून के मसौदे पर मंत्रिमंडल फैसला करेगी और इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में लाएगी।उन्होंने कहा कि विधेयक के मसौदे पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया जायेगा और विधेयक को मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में पारित करने के लिए रखा जा सकता है।उल्लेखनीय है कि नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र तथा अन्य संगठन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ-साथ राजनीतिक दलों ने भी इसे संसद के मानसून सत्र में बड़ा मुद्दा बना लिया है।विपक्ष संसद में प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और सरकार इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है जिसके कारण संसद के दोनों सदनों में पहले सप्ताह कोई कामकाज नहीं हो सका है।

जेएनयू ने छात्रों को सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन से दूर रहने की दी नसीहत

नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन में अपने छात्रों और अन्य संबंधित लोगों को शामिल होने से बचने की नसीहत देते हुए सुप्रीमकोर्ट के निदेर्शों का सख्ती से पालन करने को एडवाइजरी जारी किया है।गौरतलब है कि यह एडवाइजरी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच जारी की गई है। जेएनयू ने अपनी एडवाइजरी में अपने अकादमिक समुदाय के सदस्यों से जिम्मेदारी से काम करने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।एडवाइजरी में कहा गया कि जेएनयू के अकादमिक समुदाय के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम करें और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक प्रदर्शनों पर सुप्रीमकोर्ट के निदेर्शों के अनुसार आपसे अनुरोध है कि आप नई दिल्ली में जंतर-मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में भाग लेने या वहां जाने से बचें।

विश्वविद्यालय ने छात्रों को उनके व्यवहार के बारे में सोशल मीडिया पर आगाह करते हुए चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बयान में कहा गया कि कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें। उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी परिणाम और विश्वविद्यालय की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

इसमें छात्रों और कर्मचारियों से जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने का भी आग्रह किया गया और कहा गया कि आपसे यह भी आग्रह किया जाता है कि आप अकादमिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखें।यह एडवाइजरी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्रों और फैकल्टी सदस्यों से इसी तरह की अपील जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें सुरक्षा और कानूनी परिणामों की संभावना को देखते हुए उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा गया था।दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को अपने बयान में कहा था कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और गैर-कानूनी सभाओं या प्रदर्शनों में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया कि प्रिय छात्रों और फैकल्टी, आपकी सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। इसमें यह भी कहा गया कि जंतर-मंतर पर होने वाली सभाएं भारत के सुप्रीमकोर्ट के निदेर्शों के तहत तय नियमों और प्रतिबंधों के अधीन हैं।

सम्पादकीय

संवाद से सशक्त होगा लोकतंत्र, हिंसा से नहीं

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद भवन तक हाल के आंदोलन के दौरान जो तनाव, टकराव और हिंसक घटनाएं देखने को मिलीं, वे केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, बैरिकेड तोड़ने के प्रयास, मेट्रो स्टेशन में जबरन प्रवेश की कोशिश, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग-ये सभी दृश्य उस लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप नहीं कहे जा सकते, जिसकी आधारशिला अहिंसा, संवाद और संवैधानिक मयार्दाओं पर रखी गई है। भारत आज आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है। यह केवल आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की कसौटी पर भी स्वयं को सिद्ध करने का अवसर है। यदि हम आज भी असहमति को हिंसा, टकराव और अराजकता के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होगी। लोकतंत्र की शक्ति सड़क पर शक्ति-प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विचारों की शक्ति, संवाद की संस्कृति और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निहित होती है। राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर चल रहे घरना-प्रदर्शन के दौरान अचानक अपने सहयोगी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठना और संसद की बजाय सड़क को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना अनेक गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जिस प्रकार इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित छात्रों एवं कार्यकताओं ने संसद चलो मार्च के दौरान तनावपूर्ण, अराजक एवं हिंसक माहौल बनाने की घटनाएं सामने आईं, उससे यह आशंका बलवती हुई कि कुछ राजनीतिक शक्तियां भारत में भी नेपाल जैसी अराजक परिस्थितियां पैदा करने को उजावले हैं। सरकार की सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की समय रहते की गई कार्रवाई से, कुछ कमियों के बावजूद, इस बड़े संकट को टाल दिया गया, अन्यथा दिल्ली लंबे समय तक हिंसा और अशांति की चपेट में आ सकती थी। देश पहले भी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध के दौरान शाहीन बाग में लगभग सौ दिनों तक एक प्रमुख सड़क के अवरुद्ध रहने और उससे आम नागरिकों को हुई भारी कठिनाइयों का अनुभव कर चुका है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार निर्विवाद है, लेकिन उसका स्थान संसद, संवाद और संवैधानिक संस्थाएं हैं, न कि सड़क पर टकराव और अराजकता। विपक्ष यदि बार-बार ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करना है या राजनीतिक ध्रूवीकरण और अस्थिरता को बढ़ावा देना। जनता अपेक्षा करती है कि सभी दल संसद को सर्वोच्च मंच मानते हुए वहीं जवाबदेही सुनिश्चित करें।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। यह अधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य और मयार्दा भी जुड़ी होती है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस से टकराव करना, हिंसा फैलाना अथवा आम नागरिकों के जीवन को बाधित करना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आचरण नहीं कहा जा सकता। यदि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो देता है, तो उसकी मांगें भी समाज की सहानुभूति खो बैठती हैं। यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र केवल जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकार के लिए भी उत्तरदायित्व का नाम है। सरकार को भी आंदोलनों को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखना चाहिए। जब भी किसी वर्ग, विशेषकर युवाओं और छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो, तो उसका समय रहते समाधान खोजने का प्रयास होना चाहिए। संवाद के दरवाजे जितनी जल्दी खुलेंगे, टकराव की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, संवेदनशीलता और संवाद की इच्छा होती है।इतिहास साक्षी है कि भारत के अधिकांश सफल जनआंदोलन अहिंसा और संवाद की शक्ति से ही सफल हुए हैं। महात्मा गांधी ने विश्व को यह संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़े अस्त्र हैं। वर्ष 2011 का अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी इसका उदाहरण है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन आंदोलन का नैतिक बल उसकी शांति और अनुशासन में था। उसी कारण सरकार को संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा और पूरे देश में एक सकारात्मक बहस प्रारंभ हुई। इसके विपरीत जहां-जहां आंदोलनों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, वहां उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट गया और चर्चा केवल हिंसा तक सीमित होकर रह गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी शक्तियां हैं, जो सामान्य और भोली-भाली जनता एवं देश के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल देती हैं? कौन-से तत्व आंदोलनों की दिशा बदलकर उन्हें अराजकता में परिवर्तित कर देते हैं? यह चिंता केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए।

कांग्रेस ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की राजनीति के अलावा देश को कुछ नहीं दिया : भजनलाल शर्मा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति के अलावा देश को कुछ नहीं दिया।शर्मा ने गुरुवार को यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को जोड़ने की राजनीति करती है जबकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने का प्रयास किया।देश की जनता विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की राजनीति को स्वीकार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के कारण राजस्थान में विकास कार्यों को नयी गति मिली है। प्रदेश में सड़क, पानी, बिजली, रोजगार और सिंचाई के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किये जा रहे हैं।उन्होंने भारत को अपनी महान संस्कृति, विरासत, संत परंपरा और ऋषि-मुनियों के आदर्शों का अनुसरण करने वाला राष्ट्र बताते हुए कहा है भारत माता के प्रति समर्पण भाव से संतों, मुनियों और महंतों ने समाज को नयी दिशा प्रदान की है। उन्होंने संत गुरु रविदास महाराज के विचार सदियों तक समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

संत रविदास ने अपने जीवन और वाणी के माध्यम से यह संदेश दिया कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही व्यक्ति को सम्मान दिलाता है और समाज में उसकी वास्तविक पहचान स्थापित करता है।शर्मा ने कहा कि संत गुरु रविदास ने सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश देकर समाज को एक नयी दिशा दी। उनका मानना था कि जन्म से कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के आदर्शों का प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी गुरु रविदास महाराज के संदेशों को निरंतर स्मरण करते हुए एक भारत-श्रेष्ठ भारत तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं।गौतम ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश में महापुरुषों के सम्मान और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। अहिल्याबाई होल्कर, भगवान बिरसा मुंडा और डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित अनेक महापुरुषों की जयंती और स्मृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।काशी में संत गुरु रविदास महाराज से जुड़े पवित्र स्थलों का विकास किया गया तथा उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को संरक्षित करने का कार्य किया गया है। मध्यप्रदेश में उनके जीवन से संबंधित शोध केंद्र की स्थापना भी की गई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रयास है कि संत-महात्माओं के विचार और जीवन दर्शन समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में करोड़ों गरीब परिवारों को आवास, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, शौचालय और हर घर जल जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने, समाज के पिछड़े, दलित एवं वंचित वर्गों को सम्मान और सशक्तिकरण देने का जो कार्य हुआ है, वह अभूतपूर्व है।उन्होंने कार्यकताओं का आह्वान करते हुए कहा कि संत गुरु रविदास महाराज के जीवन और विचारों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। आज समाज को भ्रमित करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, ऐसे समय में कार्यकताओं को छात्रावासों, शिक्षण संस्थानों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर गुरु रविदास महाराज के जीवन, विचार और समरसता के संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा।भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) अजेय कुमार ने समरसता संकल्प अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभियान 29 जुलाई से अगले वर्ष 20 फरवरी तक प्रदेशभर में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को गांव-गांव एवं ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है।अभियान के प्रथम चरण 29 जुलाई से शुरू होगा। गुरु पूर्णिमा की संध्या पर दीप महोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई से 10 सितंबर तक कलश वंदन अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कुमार ने बताया कि यहां से पवित्र कलश प्रदेश की टोलियों को दिया जाएगा। प्रदेश टोली अपने प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर होते हुए राजधानी में इसे लेकर जाएगी। इस दौरान प्रदेश के जिलों में विभिन्न धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान के माध्यम से संत-महात्माओं एवं समाज के पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा।पांच अक्टूबर से पांच नवंबर तक गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी तथा 26 नवंबर से आगामी 15 जनवरी तक छात्रावास संपर्क अभियान संचालित होगा, जिसमें छात्रावासों में जाकर युवाओं को गुरु रविदास महाराज के जीवन एवं सामाजिक समरसता के संदेश से जोड़ा जाएगा।उन्होंने कहा कि समाज को जातिवाद, गोत्रवाद और क्षेत्रवाद जैसी संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर सामाजिक समरसता को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती वर्ष समारोह के सफल संचालन के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सैनी के नेतृत्व में निहालचंद मेघवाल, अनिता भदेल, चंद्रकांता मेघवाल एवं जगसीराम कोली को सदस्य बनाया गया है।

भीलवाड़ा : खेत में बिजली गिरने से बुजुर्ग और बालिका की मौत

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के रायपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को बिजली गिरने से नाना और उनकी सात वर्षीय दोहिती की मौत हो गई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव रायपुर अस्पताल के शवगृह में रखवाए। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव सौंप दिए गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बोराना ग्राम पंचायत स्थित कलालखेड़ी गांव में (65) धर्मनाथ योगी अपनी सात वर्षीय दोहिती गायत्री के साथ घर से करीब एक किलोमीटर दूर खेत में बकरियां चराने गए थे। शाम करीब आठ बजे तक जब दोनों घर नहीं लौटे और केवल चार बकरियां ही खुद घर पहुंचीं, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई।परिजन जब खेत पर पहुंचे तो वहां सात बकरियां मौजूद थीं और धर्मनाथ योगी एवं मासूम गायत्री मृत अवस्था में मिले। प्रथम दृष्टया दोनों की मौत बिजली की चपेट में आने से हुई प्रतीत हुई।सूचना मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि मुकेश सालवी और रायपुर थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाजसेवी मौके पर एकत्र हो गए और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया।

बहराइच में मासूम बालक के साथ कुकर्म और हत्या के दोषी को मृत्यु दंड

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक विशेष अदालत ने सात वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में दोषी अभियुक्त को घटना के लगभग दो माह के भीतर मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।पुलिस सूत्रों के अनुसार जनपद के थाना कैसरगंज क्षेत्र के दयालपुरवा मंझारा तौकली निवासी लक्ष्मण निषाद ने 13 मई 2026 को तहरीर देकर बताया था कि उनका सात वर्षीय पुत्र धनंजय 12 मई की रात गांव में आयोजित एक शादी समारोह में गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में बालक का शव बरामद हुआ, जिसके गले पर गंभीर चोट के निशान थे। तहरीर के आधार पर थाना कैसरगंज में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि बालक के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने 13 मई को ही ग्राम घाघी रघौली मंझारा तौकली स्थित एक बाग से आरोपी मुकेश निषाद (20) निवासी दयालपुरवा मंझारा तौकली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते बालक के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की बात स्वीकार की।पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी करते हुए 11 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय ने 22 जून को आरोप तय किए और त्वरित सुनवाई पूरी करते हुए 23 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया।

हनुमानगढ़ में संदिग्ध उर्वरक कारखाने में कृषि विभाग की कार्रवाई

हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में किसानों को नकली या अवैध री-पैक उर्वरक बेचने वाले एक संदिग्ध कारखाने पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है।खुफिया सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में खाद, उर्वरक और पैकिंग सामग्री जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में लाइसेंस की कमी और अवैध निर्माण या री-पैकिंग की आशंका सामने आई है।हनुमानगढ़ में कृषि विभाग के सहायक निदेशक राधेश्याम पारीक ने शुक्रवार को बताया कि भादरा क्षेत्र में नकली खाद और उर्वरक बनाए जाने की खुफिया सूचना मिली थी। इसी आधार पर दल मौके पर पहुंचा तो फैक्ट्री पर ताला लगा मिला।संचालक को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन काफी इंतजार के बावजूद कोई नहीं आया। इसके बाद भादरा के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) की उपस्थिति में ताला तोड़कर दल अंदर घुसा मौके से परिसर से भारी मात्रा में खाद, उर्वरक और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई।उन्होंने बताया कि पूरे परिसर का गहन निरीक्षण करके सामग्री का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फैक्ट्री में खाद निर्माण या पैकिंग के लिए जरूरी लाइसेंस मौजूद नहीं था।अधिकारियों ने संचालक से संबंधित दस्तावेज और लाइसेंस मांगे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बरामद सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

डूंगरपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी 3000 रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट

डूंगरपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को डूंगरपुर जिले की सागवाडा तहसील की फलातेड ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार डामोर को तीन हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर को परिवादी ने शिकायत की कि ग्राम पंचायत फलातेड में हुए कार्यक्रम प्रशासन गांव के संग शिविर में ग्राम विकास अधिकारी के कहने पर उसने टेन्ट लगाया था। जिसकी बिल राशि क्रमश गत छह जुलाई के कार्यक्रम की चार हजार रुपए और सात जुलाई के कार्यक्रम में लगाए गए टेन्ट की 10100 रुपए सहित कुल 14 हजार 100 रुपए के बिल को पास करने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी ने पांच हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया मांग सत्यापन में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के तीन हजार रुपए लेने के लिए सहमत हुआ।इसके बाद एसीबी टीम ने गुरुवार को जाल बिछाकर कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेन्द्र कुमार डामोर को परिवादी से तीन हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है।

चेक बाउंस मामले में तमिल अभिनेता विमल को एक साल की जेल

चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की एक अदालत ने गुरूवार को प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता विमल को 4.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल की सजा सुनाई।

अभिनेता विमल ने अपनी फिल्म मन्नार वगैयारा के निर्माण के वास्ते फिल्म फाइनेंसर गोपी से 4.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद फाइनेंसर ने राशि की वसूली का प्रयास किया, लेकिन अभिनेता के जारी किए गए चेक, बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गए।अदालत ने माना कि अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोप बिना किसी उचित संदेह के साबित हुए हैं। इसके आधार पर उन्होंने विमल को एक साल के कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उधार ली गई रकम लौटाने का निर्देश दिया। अदालत ने अभिनेता के वकील की याचिका पर हाईकोर्ट में अपील दायर करने का अवसर देने के लिए सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगा दी है।

सवाईमाधोपुर में बालक ने सिक्का निगला, चिकित्सकों ने समय रहते बचाया

सवाईमाधोपुर। राजस्थान में सवाईमाधोपुर में परिवार के लोगों की लापरवाही से एक मासूम बच्चे के प्राण संकट में पड़ गए, लेकिन समय रहते चिकित्सकों ने अनहोनी को टाल दिया।चिकित्सा सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि सवाई माधोपुर शहर निवासी जनिद के बेटे अहद (छह) ने खेलते समय गलती से पांच रुपए का सिक्का निगल लिया। सिक्का उसकी भोजन नली में फंस गया, जिससे उसे निगलने में काफी दिक्कत होने लगी।बच्चा जोर-जोर से रोने लगा तो परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ ने बच्चे की जांच करके एंडोस्कोपी की मदद से सिक्का बाहर निकाल दिया। अब बच्चा पूरी तरह ठीक है।

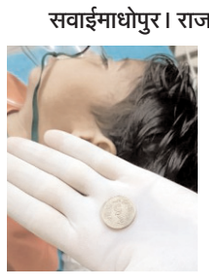

अमरीका ने भारत समेत 60 देशों पर लगाया 10 फीसदी टैरिफ

वाशिंगटन। अमरीका ने भारत समेत दुनिया के 60 देशों की ओर से बंधुआ मजदूरी और श्रम कानूनों का उल्लंघन कर बने सामान के आयात पर कड़ा प्रतिबंध न लगाने के कारण इन देशों पर विशेष सीमा शुल्क लगाने का फैसला किया है।अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमिसन ग्रीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पष्ट निदेशों के तहत 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत यह कार्रवाई की है। इस फैसले से भारतीय निर्यातकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना तय माना जा रहा है, हालांकि विशिष्ट श्रेणियों में अमेरिका ने उत्पाद छूट का प्रावधान देकर राहत भी दी है।अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि ने व्यापक जांच, दो दौर की सार्वजनिक सुनवाइयों और 2,100 से अधिक सुझावों के विश्लेषण के बाद अलग-अलग देशों के लिए शुल्क की अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं। भारत सहित अर्जेंटीना, बंगलादेश, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा ब्रिटेन को 10 प्रतिशत की दर के दायरे में रखा गया है।

ये वे देश हैं, जिन्होंने जबरन श्रम के खिलाफ या तो आंशिक कदम उठाए हैं या द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत इसे रोकने की प्रतिबद्धता जताई है।दूसरी श्रेणी में यूरोपीय संघ (ईयू), ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, जिनके गैर-छूट वाले उत्पादों पर मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (एमएफएन) दर को घटाकर 10 फीसदी से 12.5 फीसदी का टैरिफ लगेगा। वहीं, जिन देशों ने जबरन श्रम रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, उन सभी अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर अधिकतम 12.5 फीसदी की दर से टैरिफ थोपा गया है।ग्रीर ने इस कार्रवाई को वाजिब ठहराते हुए कहा कि अमरीका में लगभग एक सदी से जबरन श्रम से उत्पादित सामान के आयात पर कानूनन रोक लागू है। दशकों की नैतिक आग्रहों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से इस प्रथा को खत्म नहीं किया जा सका है, इसीलिए व्यापारिक साझेदारों को अपने यहां कड़े नियम लागू करने पर मजबूर करने के लिए यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार असंतुलन को दूर करेगी।

भले ही भारत पर 10 फीसदी का टैरिफ लगा है, लेकिन अमरीकी घरेलू बाजार की जरूरतों के मद्देनजर यूएसटीआर ने कुछ खास श्रेणियों को इस शुल्क से बाहर रखा है। इसमें वह कच्चा माल शामिल है, जिसकी कमी से अमरीका में घरेलू आपूर्ति ठप हो सकती है या वे उत्पाद, जिनका अमरीका में पर्याप्त उत्पादन संभव नहीं है। इसके अलावा अमरीका ने ऐसे उत्पादों को भी छूट दी है, जिनसे उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा व्यवधान आ सकता हो या जिनसे भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों को जबरन श्रम पर कड़े कानून बनाने और लागू करने का प्रोत्साहन मिले।

होंडा ने लॉन्च की सात नई मोटरसाइकिल और स्कूटर

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने शुक्रवार को भारतीय बाजार के लिए 10 नई मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का विस्तारित पोर्टफोलियो पेश किया जिनमें सात बिल्कुल नए मॉडल है जबकि तीन मॉडल नए रंग विकल्पों के साथ अपडेट किए गए हैं।कंपनी ने बताया कि यह लाइनअप क्रूज़िंग, एडवेंचर टूरिंग, रोडस्टर, लाइफस्टाइल राइडिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक जैसे विभिन्न सेगमेंट्स को कवर करता है। इन मॉडलों का स्थानीयकरण कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे देश में उत्पाद विकास, इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही, ग्राहकों को होंडा की वैश्विक तकनीकों तक अधिक पहुंच मिलेगी।नये मॉडलों में होंडा एडीवी 160, होंडा सीबी 500, होंडा रिबेल 300, होंडा रिबेल 500, होंडा एक्सआर 300एल तथा होंडा एक्सआर 300 रैली मोटरसाइकिल और होंडा क्यूसी3 स्कूटर शामिल हैं। वहीं, होंडा सीबी350 रेंज में नए रंग विकल्पों के साथ तीन नए मॉडल पेश किए गए हैं।होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्सुत्सुमु ओतानी ने कहा कि भारत होंडा के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। यह 10-उत्पादों का पोर्टफोलियो ग्राहकों को व्यापक परिवहन समाधान प्रदान करता है।इसमें आधुनिक पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फ्लेक्स-फ्यूल के विकल्प शामिल हैं। साथ ही, हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के अपने संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में और अधिक मजबूत होगा।

Beyond Gujarat: How Madhya Pradesh's 6,200 Crore Semiconductor Deal Signals a New Era for India's Tech Ecosystem

India's ambition to establish itself as a global semiconductor powerhouse is reaching an exciting new phase. While Gujarat initially grabbed headlines as the primary hub for mega-fabs and large packaging plants, the nationwide chip footprint is expanding rapidly. In a major leap forward, Madhya Pradesh has officially joined India's growing semiconductor map.The state government has signed a proposed 6,200 crore investment agreement with Paras Semiconductors—a subsidiary of defense engineering firm Paras Defence & Space Technologies—to establish a state-of-the-art OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) facility.This milestone isn't just a win for central India; it reflects a deliberate strategy under the India Semiconductor Mission (ISM) to create a resilient, geographically diversified high-tech manufacturing ecosystem across the country.

The Details: Inside MP's High-Tech Breakthrough-The proposed greenfield facility will spread over approximately 50 acres along the Ujjain–Indore industrial corridor. The strategic placement provides seamless logistical connectivity across central India while drawing upon Madhya Pradesh's growing industrial infrastructure.

Key Project Highlights:Total Proposed Investment: ?6,200 crore.Employment Impact: Expected to create over 2,500 direct jobs, alongside thousands of skilled technical and indirect supply-chain roles.Key Focus: Advanced integrated-circuit packaging, 2.5D and 3D heterogeneous packaging, hybrid bonding, chiplet integration, and wafer bumping.

Why OSAT is the Smart Play for India-Instead of immediately attempting to build multi-billion-dollar silicon wafer fabrication plants (fabs) in every state, focusing on OSAT and packaging builds essential capabilities faster and with optimized capital expenditure.In the chip lifecycle, OSAT takes raw silicon wafers produced by foundries and converts them into protected, tested, and high-performing electronic components. As modern electronics shift toward specialized chiplets and complex 3D packaging, OSAT is where significant technological value is created.

E-20 पेट्रोल सुरक्षित, इंजन पर प्रतिकूल असर का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक परीक्षणों, क्षेत्रीय अध्ययन और देश भर के उपयोग के अनुभव के आधार पर ई20 (20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित) पेट्रोल सुरक्षित है तथा इससे इंजन के प्रदर्शन, टिकाऊपन या वाहन के जीवनकाल पर किसी व्यापक प्रतिकूल प्रभाव का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निमार्ताओं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), तेल विपणन कंपनियों और अन्य तकनीकी संस्थानों के परामर्श से चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है।उन्होंने बताया कि एआरएआई, एसआईएएम, इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा वाहन निमार्ताओं के अध्ययन में इंजन की मजबूती, जंग प्रतिरोध, ईंधन दक्षता, उत्सर्जन और सामग्री अनुकूलता जैसे मानकों पर ई 20 को सुरक्षित पाया गया है। सरकार को ई20 के उपयोग से इंजन प्रदर्शन

या रखरखाव संबंधी किसी व्यापक समस्या की पुष्टि करने वाली शिकायत नहीं मिली है।गोपी के अनुसार देश में प्रतिदिन लगभग आठ करोड़ वाहन पेट्रोल पंपों पर आते हैं। ई15 से अधिक मिश्रित पेट्रोल का उपयोग साढ़े तीन वर्ष से और ई19-ई20 का उपयोग ढाई वर्ष से अधिक समय से हो रहा है और 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन तथा तीन करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इन मिश्रित ईंधनों पर चल रही हैं तथा इंजन की व्यापक खराबी का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ई20 कार्यक्रम से अब तक 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, लगभग 316 लाख टन कच्चे तेल का आयात हुआ है और करीब 952 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है तथा किसानों को 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है।सरकार ने यह भी बताया कि तेल विपणन कंपनियां ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन कर रही हैं। हाल के दिनों में खुदरा बिक्री केंद्रों पर 30 हजार से अधिक गुणवत्ता जांच की गई हैं तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं।

कोर्ट की कार्यवाही को अनधिकृत रूप से सोशल मीडिया मंचों पर डालने, साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर न्यायालय की कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालने, एडिट करने, शेयर करने या उससे कमाई करने पर रोक लगा दी है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही के अनधिकृत क्लिप बनाने और उन्हें चुनिंदा तरीके से फैलाने से न्यायिक कार्यवाही के बिगड़ने और डिजिटल सामग्री के दुरुपयोग की गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध न्यायालय की कार्यवाही की सही और प्रामाणिक समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा। पीठ ने इस संबंध में एक्स और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार को प्रस्तावित नियमों को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालयों की पहचान करने और सभी उच्च न्यायालयों को मॉडल लाइवस्ट्रीमिंग दिशानिदेर्शों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने तर्क दिया कि उन्हें लाइवस्ट्रीमिंग से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही अधूरी और चुनिंदा क्लिप भ्रामक माहौल बना रही हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष हाल ही में हुए विवाद का हवाला देते हुए कहा कि अलग-अलग क्लिप वायरल हो गई और न्यायालय की गंभीर कार्यवाही का मजाक बना दिया गया।गलत रिपोर्टिंग पर चिंता जताते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रिंट मीडिया में भी उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने कभी कही ही नहीं, वह भी उनके नाम से चला दी गई।न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा कि डिजिटल डेटा को नियंत्रित करना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। न्यायालय मनोरंजन का साधन नहीं बन सकते हैं।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के खतरों से आगाह करते हुए कहा कि एआई तकनीकों के जरिए न्यायाधीशों और वकीलों के बोले गए शब्दों को बदला जा सकता है।यह आदेश पत्रकार हर्षिता ग्रोवर की ओर से पेश्द जनहित याचिका पर आया है। याचिका में अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को काटने, एडिट करने और उनसे कमाई करने को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी।याचिका में कहा गया है कि ऐसे वीडियो न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद कोलकाता में करेगी रैली

कोलकाता। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के बाद कोलकाता में रैली करने की योजना बनाई है। संगठन ने शुक्रवार को शहर में रैली करने की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस को पत्र लिखा है।पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि 19 और 21 जुलाई को देदीप्या गंगोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) और संयुक्त आयुक्त (अपराध) को ईमेल भेजकर मार्च आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। गंगोपाध्याय ने ईमेल में खुद को सीजेपी का सदस्य बताया। अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर अनुमति नहीं दी गई है लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।गौरतलब है कि कोलकाता के अलावा पिछले कुछ दिनों में अन्य शहरों में भी इस अभियान को समर्थन मिला है। मुंबई में भी प्रदर्शन की खबरें आईं, जहां शिवाजी पार्क, चैत्यभूमि, चेंबूर और शिवसेना भवन के बाहर लोग जमा हुए। मुंबई पुलिस ने हालांकि कहा कि इन सभाओं के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं दी गई थी।चेन्नई के टी. नगर इलाके में भी इसी तरह के विरोध-प्रदर्शन हुए, जिनमें मुख्य रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र शामिल हुए। ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा पेपर लीक को लेकर शुरू हुए थे।

गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली में संसद की ओर सीजेपी के नेतृत्व में निकाला गया मार्च तनावपूर्ण हो गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आरोप लगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के

बाहर धरना दिया। उन्होंने छात्रों और युवाओं के खिलाफ पुलिस की ज्यादती का आरोप लगाया।विरोध-प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें पुलिस वाहन में ले जाते समय नाक से खून बहते हुए देखा गया। राहुल गांधी ने बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए तीन मुख्य मांगें दोहराईं। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दिल्ली में छात्रों पर पुलिस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक माफी मांगें। केंद्र सरकार ने हालांकि इन मांगों को खारिज कर दिया।भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन इसे राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन और संसद मार्च के दौरान पुलिस की ज्यादती के आरोपों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी, जिससे लगातार तीसरे दिन संसद का कामकाज बाधित रहा।इस बीच सुप्रीमकोर्ट ने सीजेपी विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता के आरोपों वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।

रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर बिट्टू का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया है। गौरतलब है कि बिट्टू जून में ही राज्यसभा सदस्य नहीं रहे थे, जिसके बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं।सूत्रों के मुताबिक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रवनीत सिंह बिट्टू अब राज्य की राजनीति में लौटने और अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है और भाजपा वहां अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है, जिसमें बिट्टू की अहम भूमिका मानी जा रही है।पंजाब की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बिट्टू एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आते हैं। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जिनकी अगस्त 1995 में चंडीगढ़ सचिवालय में आतंकवादियों ने बम धमाके में हत्या कर दी थी।भाजपा में शामिल होने से पहले बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और कई बार लोकसभा सांसद चुने गए। वे 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे और बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था।उनका यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और भाजपा राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है।

समाचार भेजने और विज्ञापन हेतु व किसी अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-

मो. +91 9887907277, 7737385114
Email ID
sabgurunews@gmail.com
अजमेर-6/12बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील अजमेर 305001, राज.
जयपुर-D8, गोवर्धन कॉलोनी मोहन मार्ग, विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के पास जयपुर 302019, राज.

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक विजय सिंह ने मुद्रक किशन गुप्ता द्वारा इंडिया ऑफसेट प्रिंटर्स 419 ब्रह्मपुरी, जयपुर रोड से मुद्रित करवाकर कार्यालय 6/12 बी ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पंचशील, अजमेर (राज.) से प्रकाशित किया। सम्पादक- विजय सिंह मो. 9887907277 (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अजमेर रहेगा)